



उत्तमा धरिस्तु कृषि-केन्द्र

# कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर-I

(प्रसार शिक्षा निदेशालय)

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर



भारत सरकार  
ICAR

डॉ. दुर्गा सिंह

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

क्रमांक: एफ.(नीलामी)/केविके-बीकानेर/लेखा/स्वाकेराकृवि/2025/२५-३०

दिनांक : 20.01.2025

## नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की विश्वविद्यालय परिसर में स्थित समन्वित कृषि प्रणाली इकाई के सामने वाले खेत में औद्योगिक क्षेत्र, बीछवाल से आने वाले गंदे पानी में स्थित बबूल के सूखे पड़ों की लकड़ियों की खुली नीलामी दिनांक 29.01.2025 को प्रातः 11:00 बजे कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर पर की जानी है। उक्त गंदे पानी में स्थित लकड़ियों का अवलोकन किसी भी कार्यालय दिवस में किया जा सकता है। कार्य की अवधि ठेका छूटने के बाद एक माह तक होगी।

### खुली नीलामी के लिए नियम व शर्तें :-

1. प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने हेतु राशि-2000/-रूपये मात्र धरोहर राशि स्वरूप जो डी.डी. या नगद राशि के रूप में जमा करवाने है। जो अन्तिम निविदादाता को छोड़कर बाकी अन्य सभी की धरोहर राशि वापस लौटा दी जायेगी।
2. नीलामी में भाग लेने का अधिकार केवल धरोहर राशि जमा करवाने वाले व्यक्ति/ठेकेदार को ही होगा।
3. नीलामी छूटने के बाद नीलामी की सम्पूर्ण राशि उसी दिन जमा करवानी होगी तथा पूर्ण राशि जमा करवाने के उपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जायेगा और 27 फरवरी, 2025 तक उपरोक्त कार्य पूर्ण करना होगा।
4. संबंधित ठेकेदार को विश्वविद्यालय परिसर से उपरोक्त लकड़ी को बाहर ले जाने से पूर्व सम्बन्धित फार्म अधिकारी से गेट-पास लेना अनिवार्य होगा।
5. उपरोक्त कार्य करने का समय प्रातः 09:00 बजे से सायंकाल 05:00 बजे तक रहेगा एवं कार्यालय अवकाश के दिन उपरोक्त कार्य करना प्रतिबंधित रहेगा।
6. अन्तिम बोली को छोड़ने या नहीं छोड़ने का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
7. हर विवादित मामलों में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।
8. अधिकतम बोलीदाता के हक में बोली छोड़ने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय अन्तिम होगा।
9. कृषि विज्ञान केन्द्र, बीछवाल-बीकानेर द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जावेगी।
10. वर्णित कार्य कृषि विज्ञान केन्द्र, बीछवाल-बीकानेर व सम्बन्धित तकनीकी कार्मिक की देखरेख में करना होगा।
11. उपरोक्त कार्य करते समय किसी भी प्रकार से होने वाले नुकसान/जनहानी की जिम्मेवारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
12. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपरोक्त कार्य करने के दौरान विश्वविद्यालय सम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचे। यदि किसी प्रकार का नुकसान/हानि होती है, इसकी भरपाई संबंधित ठेकेदार को करनी होगी।
13. न्याय का क्षेत्र बीकानेर रहेगा।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष  
कृषि विज्ञान केन्द्र  
बीकानेर

### प्रतिलिपि :-

1. नोटिस बोर्ड, प्रशासनिक कार्यालय/निदेशक, छात्र कल्याण निदेशालय/केन्द्रीय पुस्तकालय, स्वाकेराकृवि, बीकानेर।
2. जिलाधीश कार्यालय, बीकानेर/ग्राम पंचायत, बीछवाल/कृषि उपज मण्डी, बीकानेर/नगर परिषद/नगर परिषद, बीकानेर।
3. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, स्वाकेराकृवि, बीकानेर।
4. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, स्वाकेराकृवि, बीकानेर।
5. श्रीमान् निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, स्वाकेराकृवि, बीकानेर।
6. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, सिमका, स्वाकेराकृवि, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त नीलामी सूचना को विश्वविद्यालय की साईट में अपलोड करने का श्रम करावें।
7. सदस्य नीलामी कमेटी।
8. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष  
कृषि विज्ञान केन्द्र  
बीकानेर